न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/13/2019	02-04-2019	22-04-2019

1–छोटेलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर निवासी ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
–प्रार्थी

बनाम

1–सुमित्रा पुत्री ओमकार जाति अहीर निवासी ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल पत्नी सतीश पुत्र निहाल ग्राम पोस्ट पाली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
2–राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
3–उप–पंजीयक महोदय, मुण्डावर।
–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री मोहन सिंह नरूका –वकील प्रार्थी
02. श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी छोटेलाल बनाम सुमित्रा वगैरा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी छोटेलाल बनाम सुमित्रा उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में विशेष दिलचस्पी ले रहे थे व मुकदमें में नजदीक की तारीखें दे रहे थे यानि एक माह में 6 तारीख पेशी लगा चुके थे, जबकि अन्य मुकदमात् में दो–दो तीन–तीन माह की तारीख पेशीयां लगा रहे है। उक्त वाद सन् 2017 में दायर किया है। उक्त वाद साक्ष्य प्रतिवादी में लगा हुआ है। जिस पर मिन प्रार्थी ने अदालत श्रीमान में मुन्तकिल प्रा0पत्र पेश किया व तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज कर दिया। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी व वर्तमान पीठासीन अधिकारी व सुमित्रा प्रतिवादीनी तीनों को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के घर पर देखा है। प्रतिवादीनी ने सरेआम गांव में कह दिया है कि मैं दावा खारिज कराकर रहुंगी। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का सीनांतरण हो जाने से मौजूदा पीठासीन अधिकारी से अपना मेलरसुख मिला लिया है। वर्तामन पीठासीन अधिकारी उक्त वाद में नजदीक–नजदीक की तारीख पेशीया वादीनी व उसके वकील के कहे अनुसार लगा रहे है। पीठासीन अधिकारी ने सरेइजलास अपनी राय जाहिर कर दी कि मुकदमें में दम नहीं है मुकदमा खारिज करके छोडूंगा। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर बअनुवानी बअनुवानी छोटेलाल बनाम सुमित्रा मु0नं0 66/2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, अलवर से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि सायल का यह कहना कि गैरसायलान द्वारा सरेआम सायल से यह कहां गया कि उसने पीठासीन अधिकारी से मेल रसूख मिला लिया है। मुकदमें को खारिज कर दम लेंगे। नितांत गलत है। गैरसायलान का पीठासीन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है। सायल ने मनघडन्त रूप से गलत तथ्य दर्ज किये है। सायल का यह कहना भी गलत है कि उसने अपनी आंखों से गैरसायल को घर पर वार्तालाप करते हुए कई बार देखा है। गैरसायल कभी भी पीठासीन अधिकारी के घर पर नहीं गया। तारीख पेशी सही दर्ज की गई है। सायल का यह कहना कि पेशी प्रतिवादीगण के कहे अनुसार लगाई गई है तथा प्रतिवादीगण के वकील से

22/4/19
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

प्रभावित होकर मुकदमें का निस्तारण करने पर उतारू है, गलत है स्वीकार नहीं है। मुकदमें में तारीख पेशी दोनों पक्षकारान् के अभिभाषकों की सहमति से दी गई है। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अन्य मुकदमों में तारीख पेशी लम्बी दिये जाने के आधार पर मुकदमें को मुन्तकिल किया जाना न्यायसंगत् नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि मुकदमें में दम नहीं है तथा उसे खारिज करके छोड़ूंगा। सायल ने यह प्रा0पत्र मुकदमें का निस्तारण नहीं कराने की नियत से पेश किया है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकरी मुण्डावर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त वाद छोटेलाल बनाम सुमित्रा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में वर्ष 2017 से लम्बित है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी के सम्मुख उक्त पत्रावली केवल मात्र दिनांक 25.03.2019 को प्रथम बार ही पेश हुई थी। उसी दिन श्रीमान् द्वारा पूर्व में विचाराधीन मुन्तकिल प्रा0पत्र दिनांक 12.03.2019 में निर्णय कर दिये जाने की नकल प्राप्त नहीं होने का निवेदन किये जाने पर उसी दिन आगामी दिनांक 03.04.2019 नियत की गई। जबकि वादी/प्रार्थी द्वारा पूर्वानुसार स्वतः प्रकरण में देरी ना करने की नियत से उक्त प्रा0पत्र पुनः दिनांक 01.04.2019 को श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर दिया गया। यदि न्यायालय श्रीमान चाहे तो मुकदमा पत्रावली किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की छायाप्रतियों के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 16.08.2018, 20.08.2018, 23.08.2018, 27.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018, 07.09.2018, 10.09.2018, 17.09.2018, 18.09.2018, 20.09.2018, 24.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 11.10.2018, 12.10.2018 एवं 22.10.2018 लगातार दो–दो व तीन–तीन दिन की तारीख पेशीयां लगाई जा रही है जिस कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी मुण्डावर से प्राकृतिक न्याय की उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में भिजवाया जाना उचित होगा।

अतः उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, अलवर में विचाराधीन प्रकरण छोटेलाल बनाम सुमित्रा मुकदमा नम्बर 66/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली आगामी पेशी 03.05.2019 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उभय–पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि वो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में पैरवी हेतु आगामी दिनांक 03.05.2019 को उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर व उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22–04–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)